यूनाईटेड नेशन्ज
मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय
कमीशन/सब-कमीशन टीम (1503 प्रक्रिया)
CH-1211 जेनेवा 10, स्वीटजरलैंड
फैक्स : (41 22) 917 90 11 ą ईमेल: cp@ohchr.org

"1503 याचिका"

नवम्बर,1984 के दौरान सिक्खों की योजनाबद्ध, उद्देश्य सहित और जानबूझकर की गई हत्याओं की "नरसंहार" के रूप में जाँच-पड़ताल और पहचान करना

नवम्बर,1984 के पहले सप्ताह के दौरान उस समय भारत में सत्ताधारी पार्टी इण्डियन नैशनल कांग्रेस ने "जिसे कांग्रेस (आई) के नाम से भी जाना जाता है" धार्मिक अल्संख्यक समूह के रूप में चिह्नित सिक्ख समुदाय को नष्ट करने के उद्देश्य से पूरे भारत में सिक्खों पर आक्रमण प्रायोजित और संचालित किए।

सिक्खों के जीवन, संपत्तियों और धार्मिक पूजा स्थलों पर ये आक्रमण एक दुर्भावनापूर्ण और एक जैसे ढंग से किए गए जिसके परिणामस्वरूप 30,000 (तीस हजार) से भी अधिक सिक्ख मारे गए; सिक्ख महिलाओं से बलात्कार हुए; सिक्ख गुरूद्वारे जलाए गए; सिक्खों की संपत्तियां लूटी गई और 300,000 (तीन लाख) से भी ज्यादा सिक्खों को उजड़ना और विस्थापित होना पड़ा।

इन आक्रमणों की भयावहता, इनके पैमाने और विशेष रूप से इनकी संगठित प्रकृति को भारत की सरकारों द्वारा उन्हें "नवम्बर 1984 के सिक्ख विरोधी दंगे" के रूप में परिभाषित करके छुपा लिया गया। ये आक्रमण ना ही "दंगे" थे और ना ही ये केवल दिल्ली तक सीमित रहे। वास्तव में, नवम्बर1984 के दौरान पूरे भारत में 18 राज्यों और 100 से भी ज्यादा शहरों में सिक्ख समुदाय को नष्ट करने के विशेष प्रयोजन से सिक्खों पर आक्रमण किए गए।

नवम्बर1984 के दौरान सिक्खों के जीवन, संपत्तियों और पूजा स्थलों पर आक्रमणों की उद्देश्यपरक और जानबूझकर किए जाने की प्रकृति उन्हें यू.एन. कन्वेंशन ऑन जिनोसाइड के अनुच्छेद 2 के अनुसार "नरसंहार" का अपराध सिद्ध करती है।

नए साक्ष्यों की खोज - नवम्बर1984 के दौरान मारे गए सिक्खों की सामुहिक कब्रें

चौंकाने वाले नये सबूतों में सामूहिक कब्रें, उजड़े हुए गाँव, जलाए गए गुरूद्वारे (सिक्ख धर्मस्थल) और नवम्बर 1984 के दौरान नष्ट की गई सिक्ख आबादी के अन्य निशान शामिल हैं। फरवरी 2011 में भारत में हरियाणा राज्य के होद-चिल्लर गाँव में सामूहिक कब्रों का मिलना सबसे ताजा साक्ष्य है जो दर्शाता है कि नवम्बर 1984 के दौरान सिक्ख योजनाबद्ध और जानबूझकर प्रयोजन के साथ किए गए आक्रमणों का निशाना थे। 15 फरवरी, 2011 को हरियाणा राज्य के होद-चिल्लर गाँव में सामूहिक कब्रें मिलने के बाद नवम्बर 1984 के दौरान सिक्ख आबादी पर इसी तरह किए गए आक्रमणों के नए साक्ष्य दूसरे अन्य राज्यों में भी पाए गए हैं जिनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं।

पूरे भारत में नरसंहार के नये खोजे गए स्थानों पर सूने खंडहर और मानव अवशेषों के साथ-साथ भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज इसके सबसे विशिष्ट, अकाट्य और ठोस सबूत हैं कि नवम्बर 1984 के दौरान सिक्खों की हत्याएं "नरसंहार" थी।

मैं, अधोहस्ताक्षरी यूनाईटेड नेशन्ज "1503 कमेटी" से आग्रह करता हूँ कि :

अ) नवम्बर,1984 के पहले सप्ताह के दौरान सारे भारत में सिक्खों की योजनाबद्ध, जानबूझकर उद्देश्य सहित की गई हत्याओं की जाँच-पड़ताल करना जिसे बाद में भारत की सरकारों नें केवल दिल्ली में सीमित "सिक्ख विरोधी दंगों" के रूप में सफलतापूर्वक ढक लिया।

ब) नवम्बर 1984 के दौरान सिक्खों की योजनाबद्ध, जानबूझकर उद्देश्य सहित की गई हत्याओं को यू.एन. कन्वेंशन ऑन जिनोसाइड के अनुच्छेद 2 के अनुसार "जनसंहार" के रूप में पहचान देना और घोषित करना।

नाम		फोन नम्बर	
गली	शहर	राज्य	पोस्ट कोड
हस्ताक्षर	तिथि		देश